

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक

/2014 निगरानी

R 1368-J/14

ब्रजेश पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम  
लहचूरा तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

... आवेदक

बनाम

पार्वती बाई बेवा पत्नी गंगाराम निवासी ग्राम  
लहचूरा तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

..... अनावेदक

दिनांक 08-11-14 को  
प्रो. कार. क्र. 100 अंगर कोर्ट  
कारा सुनत।


08-11-14  
1500

R  
am  
&

12-08-2014

प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री आर0एस0सेंगर अपने पक्षकार ब्रजेश पुत्र रामनारायण के साथ उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम पाण्डे अपने पक्षकार श्रीमती पार्वतीबाई बेवा पत्नी गंगाराम के साथ उपस्थित हुये । दोनों अभिभाषकों ने उपस्थित होकर आदेश 23 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दोनों पक्षों के राजीनामे का आवेदन प्रस्तुत किया तथा राजीनामे के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया ।

2- प्रकरण में राजीनामे का तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । राजीनामे के प्रकाश में प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जा रहा है । प्रकरण में प्रस्तुत अन्य बिन्दुओं पर इन्हीं कारणों से कोई विचार नहीं किया जा रहा है । राजीनामे को देखते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह राजीनामे के संबंध में उभयपक्ष को आहूत कर उनके ब्यान आदि लेकर राजीनामे की पुष्टि करें तथा प्रकरण में प्रस्तुत वसीयतनामा जिसके आधार पर व राजीनामे में नामान्तरण चाहे जाने की माँग की गई है, का भी विधिवत् साक्ष्य लेकर प्रमाणीकरण करें तथा उसके पश्चात् ही प्रकरण में पुनः नियमानुसार आदेश पारित करें ।

  
प्रशासकीय सदस्य

R.S. Sengar  
12/8/14